



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II

दिनांक 13.10.2026

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 तेन्दू पत्ता सीजन के क्रेता करारनामा समाप्त तेन्दू पत्ते लॉटों के विक्रय हेतु

नीलाम सूचना

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में तेन्दू पत्ता के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2025 के निरस्त व करारनामा समाप्त तेन्दू पत्ते के लाटों का निर्वर्तन किया जाना है।

अत एव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त तेंदूपत्ते के निर्वर्तन के लिए नीलाम आयोजित करता है।

2. परिभाषाएँ एवं नीलाम के सामान्य/अन्य निबंधन एवं शर्तें एवं बोलीदार के लिए निर्देश –

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित “नीलाम के सामान्य/अन्य निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदार के लिए निर्देश” में दिए गए अनुसार होंगी। ये “सामान्य/अन्य निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदार के लिए निर्देश” इस नीलाम सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि –

विभिन्न इकाईयों से वर्ष 2025 में संग्रहित एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में भण्डारित तेंदूपत्ते के लाटों के विक्रय के लिये दिनांक 30.04.2027 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा नीलाम आयोजित किया जाता है।

4. बोली पत्रक आदि

(I) बोलीदार को बोली स्वीकार किये जाने के तुरन्त पश्चात् बोली पत्रक एवं बोलीदार के करारनामा (परिशिष्ट-II एवं परिशिष्ट-III) पर हस्ताक्षर करना होगा।

(II) बोलीदार स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि उसने बोली पत्र तथा बोलीदार के करारनामे पर बोली अभिलिखित किये जाने के तुरन्त बाद हस्ताक्षर कर दिये हैं।

5. नीलाम तिथि समय व स्थल –

उपरोक्तानुसार तेंदूपत्ते का नीलाम कार्यालय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, वन धन भवन, सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर, के सभा कक्ष तृतीय तल में दिनांक 03.11.2026 को 11.30 बजे से किया जायेगा।

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं
शर्तें)

अनुसूची
(तेन्दूपत्ता की
लाटसूची)

परिशिष्ट-II
(बोली पत्रक)

परिशिष्ट-III
(बोलीदार
करारनामा)

6. सत्यंकार राशि –

नीलाम में भाग लेने के पूर्व संबंधित लाट की अधिसूचित मात्रा के लिये बोलीदार के द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले बोली दर के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की राशि का 10% नीलाम प्रारम्भ होने के पूर्व नीलाम तिथि को सुबह 10.30 बजे से नीलाम स्थल पर सत्यंकार की राशि के रूप में जमा करना होगा तथा नीलाम तिथि से 07 दिवस में अतिरिक्त 15% सत्यंकार की राशि जमा करानी होगी। यदि सत्यंकार की राशि बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा की जा रही हो तो बैंक ड्रॉफ्ट प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में रायपुर में देय होगा। बोलीदार परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 13 (1) के अनुसार सत्यंकार की राशि जमा करा सकते हैं। यदि किसी बोलीदार के द्वारा सत्यंकार में जमा राशि निर्धारित सत्यंकार राशि से कम पाई जाती है तो बोलीदार द्वारा सत्यंकार में जमा राशि संघ के स्वविवेक पर राजसात कर ली जावेगी तथा उसको कोई लाट स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा उसको तीन वर्ष तक की अवधि के लिये शासन/संघ की अनुमति से काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन –

- (I) सफल बोलीदार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित तेन्दू पत्ते के लाट के क्रय की संविदा बोलीदार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं बोलीदार लाट का क्रेता माना जावेगा।
- (II) सफल बोलीदार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए क्रेता का करारनामा परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रपत्र में करारनामा मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा। बोलीदार के द्वारा 5000/- रुपये एवं लागू GST बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। वृत्त के मुख्य वन संरक्षक हेतु निर्धारित 07 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत निविदाकार के द्वारा 5,000/- रुपये एवं लागू GST बतौर फीस अतिरिक्त जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 08 दिन का अतिरिक्त समय और दिया जा सकेगा। यदि क्रेता द्वारा वन वृत्त कार्यालय में 07 दिन की अवधि वृद्धि हेतु रुपये 5,000/- रुपये एवं लागू GST बतौर फीस जमा नहीं किया गया है, एवं उनके द्वारा 15 दिवस की अतिरिक्त अवधि हेतु अनुरोध किया जाता है तो उन्हें रुपये 10,000/- एवं लागू GST बतौर फीस जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 15 दिवस की अतिरिक्त अवधि प्रदाय की जा सकती है। इस प्रकार 30वां दिन / 7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 30 दिन / 07 दिन / 15 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय / मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।
- (III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 25% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा बोलीदार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट / लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्पूर्व निर्वातन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्पूर्व निर्वातन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

8. देय राशि का भुगतान—

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा:—

किश्त क्रमांक	तिथि
प्रथम	24.12.2026
द्वितीय	25.01.2027
तृतीय	25.02.2027
चतुर्थ	25.03.2027

(ब) सम्पूर्ण कय मूल्य के भुगतान पर छूट —

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण कय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो कय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी। यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह सम्पूर्ण कय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि तथा सम्पूर्ण कय मूल्य (100 प्रतिशत) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा।

9. पत्तों का परिदान—

(I) किश्त / किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिवहन / निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. परिशिष्ट—

परिशिष्ट-I से IV तथा अनुसूची जिनका कि संदर्भ उपर दिया गया है जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस नीलाम सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना—

इस नीलाम सूचना के संदर्भ में बोली देने के कार्य को नीलाम सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में—

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी—

संबंधित नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां (-), अधिहरित की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

13. यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालत कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर — 492007

परिशिष्ट— I

नीलाम की सामान्य/अन्य निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश जो
अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026 के भाग है

नीलाम की सामान्य/अन्य निबंधन व शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश और नीलाम सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये नीलाम सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. परिभाषाएं —

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (i) "अधिनियम" से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं।
- (ii) "अभिकर्ता" से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त अभिकर्ता से है।
- (iii) "देय राशि" से तात्पर्य लाट के कय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल बोलीदार को देनी होगी।
- (iv) "परिशिष्ट" से तात्पर्य नीलाम सूचना के परिशिष्ट से है।
- (v) "बकाया" से अभिप्रेत है, बोलीदार के विरुद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा "संघ" को शोध्य है और जिसकी सूचना नीलाम किये जाने की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारियों द्वारा उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,
- (vi) "संग्रहणकाल" से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जुलाई तक की अवधि से है,
- (vii) "मुख्य वन संरक्षक" से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन मुख्य महा प्रबंधक भी घोषित है,
- (viii) "जिला यूनियन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,
- (ix) "वन मंडलाधिकारी" से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,
- (x) "संघ" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।
- (xi) "शासन" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,
- (xii) "लाट" से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति/वन विभाग द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता जो बोरों में भरकर एक या एक से अधिक गोदामों में गोदामीकृत किया गया है।
- (xiii) "नियमावली" से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है।

- (xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।
- (xv) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य बोलीदार के द्वारा प्रस्तावित उस क्रय मूल्य से है, नीलाम दर से है, जो संघ के द्वारा उस लाट के लिए स्वीकृत किया गया हो ।
- (xvi) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,
- (xvii) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय वस्तु एवं सेवा कर व अन्य सभी कर / उपकर आदि से है ।
- (xviii) **"बोली"** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (रु. में) (जिसमें वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नहीं हैं) से है जो बोलीदार किसी लाट के तेंदूपत्ता के क्रय के लिए परिशिष्ट II में दिये गये नीलाम पत्रक में अलग-अलग लॉट के लिये प्रस्तावित करेगा ।
- (xix) **"बोलीदार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता क्रय करने हेतु नीलाम में बोली देता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्ताकिती सम्मिलित होंगे ।
- (xx) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया गया है छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते हैं नीलाम सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर -

(I) शर्त क्रमांक 4(II) के अध्याधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है। इच्छुक बोलीदारों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत तेंदूपत्ते के लाटों जिनके लिए वे बोली प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में तेंदूपत्ता की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें वास्तविक बोरों की उपलब्धता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें । बोली प्रस्तुतीकरण के पश्चात् तेंदूपत्ते की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही बोलीदार का आफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ तेंदूपत्ते की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा तेंदूपत्ता क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा ।

(II) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/विक्रय के लिए होगा। परंतु यदि किसी लाट में इस नीलाम सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में बोरे हैं तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञापत्र जारी होने के पूर्व करना होगा। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किशतों में तदानुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किशतों को मान्य करना होगा।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरान्त संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है।

5. बोली प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) बोली पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से बोली पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और बोली पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति सत्यंकार अधिकारी के पास सत्यंकार की राशि जमा करते समय प्रस्तुत की जायेगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में बोली पत्र पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी मेमोरेण्डम और आर्टिकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, सत्यंकार अधिकारी के पास सत्यंकार की राशि जमा करते समय प्रस्तुत किये जायेंगे जो न करने पर बोली अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, बोली पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से बोली पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, सत्यंकार अधिकारी के पास सत्यंकार की राशि जमा करते समय प्रस्तुत करेगा। मुख्यारनामा पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्यारनामा पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी। यदि कोई व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ) अगर काली सूची में दर्ज है तो यह माना जायेगा कि, काली सूची में दर्ज पार्टनरशिप फर्म के समस्त पार्टनर, कम्पनी के समस्त संचालक एवं अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता एवं समस्त सदस्य, भी काली सूची में है।

उपरोक्त काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अन्य किसी प्रोपराइटी फर्म, पार्टनरशिप फर्म एवं कम्पनी में सम्मिलित होने की स्थिति में वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी।

(IV) ऐसा व्यक्ति जो कि बकायादार है, के द्वारा प्रस्तुत बोली अवैध मानी जावेगी। ऐसा बोलीदार जो कि बकायादार है, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या सम्बन्धित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में बोली देने के पूर्व कर सकता है। परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा।

(V) बोलीदार का नीलाम तिथि को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी वनमण्डल में अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/ निर्यातक के रूप में वर्ष 2026 के लिये पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सत्यंकार राशि जमा करते समय सत्यंकार अधिकारी के पास वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(VI) यदि कोई व्यक्ति नीलाम के समय कोई कदाचार करता है या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत बोली अवैध घोषित कर दी जायेगी तथा ऐसी बोली के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि, उसके द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि में से वसूल कर ली जावेगी इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है।

6. सत्यंकार की राशि –

(I) प्रत्येक बोली, सत्यंकार की राशि जो बोली पत्रक में दर्शित लाट की बोली दर के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 10% की राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी, के साथ शर्त क्रमांक 13 (I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर बोली संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी।

(II) नीलाम तिथि से 07 दिवस में क्रय मूल्य की 15 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी। बोलीदार द्वारा यदि निर्धारित अवधि तक अतिरिक्त 15% की सत्यंकार की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो बोलीदार की सत्यंकार में जमा राशि संघ के स्व विवेक पर राजसात कर ली जावेगी तथा उसको कोई लाट स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा उसको 03 वर्ष की अवधि के लिये संघ द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(III) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि बोलीदार के निवेदन पर उसको आवंटित लाट/लाटों की किश्त/किश्तों के भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी।

(IV) असफल बोलीदारों की सत्यंकार राशि नीलाम समाप्त होने के अगले दिन वापिस कर दी जावेगी।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. नीलाम की प्रक्रिया –

- (I) नीलामकर्ता अधिकारी/नीलाम समिति प्रत्येक लाट के लिये बोली प्राप्त करेगा/करेगी। नीलाम अधिकारी/समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार करने से इंकार कर दें तथा किसी भी व्यक्ति को नीलाम में भाग लेने से रोक दे।
- (II) नीलामकर्ता अधिकारी/नीलाम समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाट के लिये न्यूनतम बोली तथा अगली बोली के लिये न्यूनतम वृद्धि निर्धारित कर सकेगा/सकेगी।
- (III) बोलीदार को अपने बोली पत्रक में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल का पता सत्यंकार अधिकारी के पास अंकित कराना होगा एवं इस हेतु, निर्धारित स्थान पर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर ई-मेल से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। बोलीदार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक का पता या ई-मेल का पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

8. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि –

- (I) बोली के अभिलिखित किये जाने के उपरांत कोई भी बोलीदार अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के लिये नीलाम सूचना की कंडिका 6 में दर्शाई दर से जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी और शासन/संघ की अनुमति से उसे ऐसी कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है।

9. बोली को स्वीकार किया जाना -

- (I) शासन/संघ बोली पत्र में अंकित किसी भी लाट के प्रस्ताव को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (II) विभिन्न बोलीदारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट ऑफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

10. प्रतिभूति निक्षेप-

- (I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल बोलीदार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करनी होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि क्रय मूल्य के 10% की सीमा तक उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अतिरिक्त 15% राशि नीलाम तिथि के 07 दिवस के अंदर उसे जमा करना होगा। अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पास, शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये विवरण अनुसार जमा की जाएगी।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरुद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा। उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी होगा ।

11. तेन्दू पत्ते का परिदान –

- (I) तेन्दू पत्ते का परिदान देय किश्त की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दिया जावेगा ।
- (II) देय किश्त की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा का परिदान दिया जावेगा । परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेन्दू पत्ते की छंटाई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया हो ।
- (III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टैक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
- (IV) (अ) प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक को देना होगा । क्रेता के आवेदन-पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देगे। खुले परिदान के अंतर्गत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा। परिदान के समय लाट में से बोरों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जायेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।
- (IV) (ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा । इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा । इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेन्दूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा ।
- (i) इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$)

तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेन्दू पत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा । इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा । ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेन्दू पत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा । शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड़िडयों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा ।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड़िडयों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी किश्त / किश्तों में समायोजित की जावेगी ।

(iii) यदि इस प्रकार गड़िडयों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा । इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेन्दूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा ।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम / अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेन्दूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा । प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा ।

इस प्रकार शर्त क्रमांक 11(IV) (ब) (i), (ii), (iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

12. अधिनियम आदि का उल्लंघन—

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और / अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामों को समाप्त किया जाता है, को **पांच वर्ष** की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा ।

13. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया—

(I) बोलीदार द्वारा

बोलीदार को सत्यंकार (E.M.D) की राशि का भुगतान आनलाइन निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है ।

1. **UPI Payment Mode/ क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards)** के विकल्प का चयन करने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही करना होगा ।

2. **नेट बैंकिंग (Net Banking)**

बोलीदार केवल नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है ।

3. आर.टी.जी.एस / एन.इ.एफ.टी (RTGS / NEFT)

बोलीदार शर्त क्रमांक 13(II) में दर्शित बैंक में राशि ट्रांसफर कर सकता है।

(II) बोलीदार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

क्रेता द्वारा राशि का भुगतान अपने किसी भी बैंक खाते से संघ के आई.सी.आई.सी. आई. बैंक खाता क्रमांक 016101015839 (ICIC0000161) पर निम्न प्रक्रिया अनुसार चालान प्राप्त करने उपरांत ऑनलाईन भुगतान करना अनिवार्य है।

बैंक एवं शाखा का नाम	बैंक खाता क्रमांक/आई.एफ.एस.सी. कोड
आई.सी.आई.सी. आई. बैंक रायपुर, सिविल लाईंस शाखा	016101015839/ ICIC0000161

चालान प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

इस प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट www.cgmpfed.org के मुख पृष्ठ (Home Page) में एक Link Online Payment Module उपलब्ध होगा। क्रेता द्वारा उक्त Link को Click करने पर एक पेज खुलेगा जिसके क्रमांक 02 के अंतर्गत एक Proceed for Money Receipt Generation through ICICI Bank Ltd. उपलब्ध होगा। उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फॉर्म खुल जावेगा, क्रेता क्रमशः क्रेता का नाम, आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN), ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लॉट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आय कर, विलंब शुल्क, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रविष्टि करनी होगी। क्रेता द्वारा समस्त प्रविष्टि Caps Lock on करके ही की जानी चाहिये। क्रेता द्वारा प्रत्येक लॉट हेतु पृथक से प्रविष्टि करनी चाहिये अर्थात् एक या एक से अधिक लॉटों की प्रविष्टियों को जोड़कर एक प्रविष्टि नहीं करनी चाहिये। उक्त फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत को Submit Button क्लिक करना होगा। Submit Button को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिंट लेकर चालान में अंकित जानकारी को बैंक द्वारा RTGS हेतु निर्धारित फॉर्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGS करना होगा।

ऑनलाइन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी। जिला यूनियन द्वारा ऑनलाईन मनीरसीद प्राप्त होने उपरांत संघ मुख्यालय से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं ई-मेल द्वारा प्राप्त मनीरसीद मान्य किया जावेगा।

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110

परिशिष्ट - II

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026

वर्ष 2025 तेन्दू पत्ता सीजन में क्रेता करारनामा समाप्त लॉट के विक्रय हेतु नीलाम सूचना की
शर्त क्रमांक 4(i) एवं (ii)

बोली-पत्रक

- | | |
|---|--|
| (अ) तेन्दू पत्ता लॉट क्रमांक (अंकों में)
(स) तेन्दू पत्ता लाट क्रमांक (शब्दों में)
(द) अधिसूचित मात्रा (मा.बो.)
(ई) गोदाम का नाम तथा स्थान
1.
2.
3. | (ब) जिला यूनियन :

(इ) संग्रहण वर्ष :
मात्रा (मा.बो.) |
|---|--|

योग

(ई) नीलाम दिनांक :

बोलीदार का नाम	बोली दर (प्रति मानक बोरा) रु. में
----------------	-----------------------------------

आज नीलाम दिनांक को बोलीदार मेसर्स/श्री पूर्ण पता
की अधिकतम बोली रु. (अंकों में)
(शब्दों में) प्रति मानक बोरा (करों व उपकर को छोड़कर) उपरोक्त अधिसूचना की शर्तों के
 अनुसार अभिलिखित की जाती है।

बोलीदार का नाम	सदस्य नीलाम समिति	सदस्य नीलाम समिति	सदस्य नीलाम समिति
तथा हस्ताक्षर			

परिशिष्ट - III

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026

बोलीदार का करारनामा

वर्ष 2025 तेन्दू पत्ता सीजन में क्रेता करारनामा समाप्त लॉट के विक्रय हेतु
नीलाम सूचना की शर्त क्रमांक 4(i) एवं (ii)

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष के
मार्फत कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हें
इसके आगे प्संघ कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा
अभिहस्ताकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री / मेसर्स.....
..... आत्मजग्राम जिला..... (जिन्हें
इसके आगे "बोलीदार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा
अभिहस्ताकिती सम्मिलित हों) के मध्य किया जाता है।

चूँकि तेन्दू पत्ते का व्यापार छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके
अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को संपूर्ण छत्तीसगढ़ की विभिन्न तेन्दू पत्ता समितियों से संग्रहित एवं
गोदामीकृत (क्रेता करारनामा समाप्त) तेन्दू पत्तों के लाटों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष 2025 संग्रहण सीजन में संघ विभिन्न समितियों (लाटों) में संग्रहित एवं गोदामीकृत
(क्रेता करारनामा समाप्त) तेन्दू पत्तों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा नीलाम
आयोजित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026 जारी की गई है
और चूँकि संघ उपरोक्त नीलाम सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित बोलीदारों से बोली
प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है।

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक
संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. मैं / हमएतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने
छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये
नियमों, उपरोक्त वर्णित नीलाम सूचना की शर्तों, नीलाम सूचना के परिशिष्ट-I में दिये गये नीलाम के
निबंधन एवं शर्तों तथा बोलीदारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त नीलाम सूचना से संलग्न क्रेता
करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं / हम उनका पालन करने का
करार करता हूँ / करते हैं।
2. मैं / हमएतद् द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम
नीलाम में बोली देने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा / लेंगे। मैं / हम यह भी
घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम नीलाम होने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस
नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा / रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी
द्वारा नीलाम स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट
/ लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके / जिनके लिए मैंने / हमने बोली दी है।

बोलीदार के हस्ताक्षर

3. मेरे / हमारे द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं / हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा / रहेंगे जैसी कि नीलाम सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी।
4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की **अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026** के अधीन जारी की गई नीलाम सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित हैं, उपबंधों के अध्यधीन हैं।
5. मैं / हम एतद् द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग अथवा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित की कोई राशि बकाया है और न ही मैं / हम शासन / संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज हूँ / हैं।
- जिसके साक्ष्य में मैंने / हमने संबंधित व्यक्ति / पंजीकृत फर्म / विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता
की उपस्थिति में

बोलीदार के हस्ताक्षर
नाम
डाक का पूरा पता
.....

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता
2. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक की उपस्थिति में
..... वृत्त के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- IV

(नीलाम अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(नीलाम सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, वृत्त (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री..... आत्मजनिवासी.....ग्राम.....और जो (1) श्री..... (2) श्री (3) श्री के साथस्थित कम्पनी, जिसका नामहै तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालयमें स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दू पत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29 / 1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूंकि राज्य शासन ने तेन्दू पत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने वर्ष के क्रेता करारनामा समाप्त तेन्दू पत्ता लाटों के विक्रय के लिए अपनी नीलाम सूचना क्रमांक ते.प. (निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026 के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और क्रेता लॉट क्रमांक (अंको में) (शब्दों में) समिति का नाम एवं अधिसूचित मात्रा (अंको में)..... (शब्दों में) और जिसको कथित निविदा सूचना की अनुसूची क तथा ख में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेन्दू पत्ते के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेन्दू पत्ते का दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस नीलाम सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य / अन्य

निबंधनों एवं शर्तों तथा बोलीदार के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यक्षीन है।

3. क्रय दर आदि –

क्रेता इस अनुबंध की कंडिका 20 की तालिका में दर्शाये गये लाट / लाटों जिनको कि इसके पश्चात् लाट / लाटों कहा गया है, के तेन्दू पत्ता को प्रत्येक लाट के सामने दर्शाई गई दर पर, कालम 6 में दर्शाये गये क्रय मूल्य पर क्रय करेगा। लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त क्रय मूल्य के उपर कर / उपकर भी अदा करेगा।

4. विक्रय "जहाँ है जैसा है" के आधार पर –

- (I) उप कंडिका (II) के अध्यक्षीन रहते हुये तेन्दू पत्तों का विक्रय "जहाँ है जैसा है" के आधार पर है। पत्तों की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के बारे में किसी भी समय कोई विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही संघ उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार के ह्रास के लिये उत्तरदायी होगा तथा पत्ते का भंडारण क्रेता के उत्तरदायित्व पर रहेगा।
- (II) यह अनुबंध तेन्दू पत्ते की मानक बोरे में अधिसूचित मात्रा के क्रय / विक्रय के लिये है। वास्तविक बोरे की संख्या के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं किया जायेगा। यदि इस अनुबंध में सम्मिलित किसी लाट में नीलाम सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे निकलते हैं तो क्रेता को उन्हें भी लाट के लिये अनुबंध की कंडिका 20 में दर्शाये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त भुगतान कर क्रय करना होगा। ऐसा अतिरिक्त भुगतान क्रेता को लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा जैसा कि नीलाम सूचना के परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है तथा किशतों में तदनुसार संशोधन किया जायेगा और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किशतों को मान्य करना होगा।
- (III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानांतरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ / जिला यूनियन के पास सुरक्षित है।

5. देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति –

- (अ) क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किशतों में, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 13(II) के अनुसार निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा।

(राशि रुपये में)

किशत	देय राशि की किशतों के भुगतान की तिथि	क्रय मूल्य की राशि	अन्य हस्ता.शुल्क, विलंब शुल्क, पुर्नजीवन शुल्क आदि	योग (3+4)	वस्तु एवं सेवा कर
1	2	3	4	5	6
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
चतुर्थ					

प्रत्येक किशत के भुगतान के साथ आयकर रु. की किशत का भुगतान भी करना होगा।

उपर वर्णित कर / उपकर, आयकर एवं अन्य करों में पश्चातवर्ती संशोधन होने पर तदनुसार यथास्थिति संशोधित राशि क्रेता द्वारा देय होगी।

नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार पटाई गई प्रतिभूति निक्षेप या उसकी अवशेष राशि जैसी भी स्थिति हो, जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के संतुष्ट होने पर इस अनुबंध की कंडिका 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अंतिम किश्त के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।

- (ब) यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी। यदि क्रेता इस सूविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा।
- (स) यदि कोई क्रेता देय तिथि तक किश्त का भुगतान नहीं करता है, तो क्रेता द्वारा विलंब शुल्क का भुगतान किया जावेगा। विलंब शुल्क की गणना क्रय मूल्य एवं 0.035 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से विलंब शुल्क देय होगा। यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो विलम्ब शुल्क की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।
- (द) (I) क्रेता तेन्दू पत्ते का नीलाम सूचना की अनुसूची में अधिसूचित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा। क्रेता को पतो का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जब कि देय राशि का विलंबित भुगतान की स्थिति में विलंब शुल्क सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है।
- (II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा। परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है। (यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)
- (III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (IV) (अ) प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक को देना होगा। क्रेता के आवेदन-पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देंगे। खुले परिदान के अंतर्गत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा। परिदान के समय लाट में से बोरों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जायेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है।
- (ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा। इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेन्दूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा।

- (i) इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेन्दू पत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा। इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेन्दू पत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा। शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड़्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा।
- (ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी किश्त / किश्तों में समायोजित की जावेगी।
- (iii) यदि इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेन्दूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा।
- (iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम / अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेन्दूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा।
- इस प्रकार कंडिका 5 (द) (IV) (ब) (i), (ii), (iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

- (ई) नीचे दी गई कंडिका (फ) के प्रावधान के अध्याधीन, किश्त की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेन्दू पत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा।
- (फ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेन्दू पत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेन्दू पत्ता की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेन्दू पत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा। तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप रुपये 10,000/- एवं लागू GST का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के

लिए रुपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन संरक्षक को तेन्दूपत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमति ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी, परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेन्दू पत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व 30 दिवस की अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे।

6. करों का भुगतान –

- (I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए।
- (II) क्रेता छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर तथा का भुगतान परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये विवरण के अनुसार करेगा।
- (III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 13(II) के अनुसार करेगा। यथा स्थिति संघ को देय पत्तों के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

7. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना –

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को तेन्दू पत्तों के परिदान के पश्चात् उसका विक्रय प्रमाण- पत्र प्रदान करेगा।

8. करारनामे का अनुपालन –

यदि पूर्वोक्त एवं नीलाम सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन / परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

9. प्रतिभूति निक्षेप –

- (I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार रुपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।
- (II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।
- (IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरुद्ध समायोजित की जावेगी। लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा। उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा। लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा।

10. अधिनियम का उल्लंघन आदि –

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ / शासन को **रु. 15,000/-** (पन्द्रह हजार) तक की राशि की देनगी करेगा।

11. शास्तियाँ –

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रुपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रुपये 500/- (पाँच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरुद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

12. क्रेता के करारनामे की समाप्ति –

- (I) यदि क्रेता प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा।
- (II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।
- (III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:—
- (अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने।
- (ब) गोदाम में रखे तेन्दूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने।

- (स) (एक) गोदाम में रखे तेन्दूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेन्दू पत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 12(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने। ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 6 के अंतर्गत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेन्दू पत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेन्दूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 12(III) (ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी। यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा / नीलाम में नहीं हो पाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा। करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां (-) अधिहरित की गयी सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट / लाटों (जो प्रयुक्त न हो उसे काट दे) के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्च एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV) (अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रुपये 10,000/- एवं लागू GST प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेन्दू पत्ते के अपरिदत्त स्टॉक का उसे परिदान कर दिया जाएगा। क्रेता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका-5(फ) में दर्शाये अनुसार गोदाम किराये, यदि पुर्नजीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है, का भुगतान अग्रिम में करना होगा।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 12(IV) (अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार

भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.045% प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क एवं रुपये 10,000/- एवं लागू GST प्रति लाट की दर से पुनर्जीवन शुल्क देना होगा। पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे।

- (V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
- (VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रुपये 10,000/- एवं लागू GST प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क एवं गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रुपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेन्दू पत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे।

13. लेखाओं का रख-रखाव —

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए।

14. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन —

- (अ) क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।
- (ब) क्रेता जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ जैवविविधता नियम 2015 के अधीन किये जाने वाले समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा ।

15. स्कंध का बीमा —

- (I) क्रेता करारनामा निष्पादित होने के बाद, संघ लाट / लाटों के स्वीकृत कय मूल्य के बराबर की राशि का बीमा, केवल निम्नानुसार आकस्मिकताओं से होने वाली हानि के लिए कराएगा— अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन।
- (II) (अ) यदि क्रेता चाहे तो वह :-
- (i) अन्य प्राकृतिक अथवा अदृष्ट आपदाओं जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी, भूकम्प या अन्य किसी भी कारण से हुई क्षति के लिए बीमा अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा और इन कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 - (ii) संघ के द्वारा कराए गये बीमा की राशि से उच्च राशि के लिए भी बीमा वह अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा।

(ब) ऐसी अधिक राशि अथवा उपरोक्त संदर्भित अन्य आपदाओं के लिए बीमा कराने की सूचना क्रेता को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को देनी होगी।

(III) यहां किये गये प्रावधान के अलावा संघ, किसी भी कारण से तेन्दू पत्ते के स्टाक को हुई क्षति के कारण क्रेता को किसी प्रकार की हुई हानि या लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि तेन्दू पत्ता की किसी भी मात्रा की क्षति होती है तो संघ केवल, उसके द्वारा की गई बीमा की राशि तक ही, अर्थात् क्रय मूल्य की सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होगा और वह भी केवल उस स्थिति में जब हानि, अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन अर्थात् उपरोक्त उप कंडिका (I) में दर्शित कारणों से हुई हो और यह भी कि यह क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही की जावेगी जबकि क्रेता ने क्रय मूल्य की राशि संघ को पटा दी हो, परन्तु उसने परिदान न लिया हो। यह प्रतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर ही क्रेता को दी जाएगी।

16. तेन्दू पत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना –

क्रेता तेन्दू पत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञापत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा।

17. स्टाम्प शुल्क का भुगतान –

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा।

18. प्रथम प्रभार –

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेन्दू पत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी।

(दो) क्रेता तेन्दू पत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये।

19. न्यायालय की अधिकारिता –

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरुद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से विलंब शुल्क सहित की जावेगी।

20. क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाट का विवरण –

क्रेता के द्वारा कय किये गये लाट का विवरण तथा किस दर पर तेन्दू पत्ता कय किया गया है, नीचे दिया गया है।

(राशि रुपये में)

जिला यूनियन	लाट क्रमांक	समिति का नाम	मात्रा (मा.बो)	क्रय दर प्रति (मा.बो)	क्रय मूल्य	अन्य चार्ज जैसे-हस्ता.शुल्क, विलंब शुल्क, पुनर्जीवन शुल्क आदि
1	2	3	4	5	6	7
योग						
वस्तु एवं सेवा कर (6+7) के योग पर 18 प्रतिशत टी.पी. के संदर्भ में		योग (6+7+8)	आयकर क्रय मूल्य (क्रमांक 06 पर) 5 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु घोषित दर या लोवर डिडक्शन सर्टिफिकेट अनुसार			योग (9+10)
8		9	10			11

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने / उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षीगण:-

1.
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता
2.
(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन मुख्य महा प्रबंधक

नाम एवं डाक का पूरा पता
----- वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

साक्षीगण:-

1.
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-.....

डाक का पता-.....

2.
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

परिशिष्ट – V

(नीलाम अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) 2025-II दिनांक 13.10.2026 का परिशिष्ट)

वनोपज संघ द्वारा मनीरसीद जारी करने हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो उसे भरे UPI payment/ आर.टी.जी.एस. अथवा एन.ई.एफ.टी. / नेट बैंकिंग)

प्रति,

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)

सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय:- मनीरसीद जारी करने बाबत।

महोदय,

मैं / हम मनीरसीद जारी करने हेतु निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कर रहे हैं/हूँ :-

1. क्रेता का नाम —
2. आयकर का पी.ए.एन. —
3. ई-मेल —
4. मोबाइल नंबर —
5. वनोपज का नाम —तेन्दू पत्ता/ साल बीज/ हर्रा/ गोंद/ इमली/चिरौंजी गुठली / महुआ बीज/ लाख
6. संग्रहण वर्ष —
7. समायोजन का विवरण —

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	लाट क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5

8. **UPI Payment Mode/ क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी का विवरण**
(बैंक पावती संलग्न)

जमाकर्ता क्रेता का बैंक विवरण		धनादेश जो आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. हेतु उपयोग किया गया	यू.टी.आर. क्रमांक	राशि	दिनांक	संघ खाता का नाम एवं खाता क्रमांक जहाँ राशि जमा की गई
बैंक खाता क्रमांक	बैंक खातेदार का नाम					
1	2	3	4	5	6	7

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मनीरसीद जारी कर संबंधित जिला यूनियन को भेजने का कष्ट करें एवं साथ ही हमें भी सूचित करें।

दिनांक:-

संलग्न:-

(हस्ताक्षर)

नाम एवं पता